

प्राक्ति-व्यय ...। पूर्व-अदायगी
विना डाक हारा भेजे जाने
के अनुमति, अनुमति-पत्र
क्र. मोपाल-505/ इच्छा पी.



પंजी प्रાંમાંક મોપાલ ડિવોઝન
122 (એમ. પી.)

મહારાજાધૂશા રાજ્યાપાન્ના (अસાધારણ)

પ્રાધિકાર સે પ્રકાશિત

ક્રમાંક 471]

મોપાલ, સોમવાર, દિનાંક 30 સિતમ્બર 1996—આશ્વિન 8, શક 1918

ઉચ્ચ શિક્ષા વિભાગ
મન્ત્રાલય, વલ્લભ ભવન, મોપાલ

મોપાલ, દિનાંક 30 સિતમ્બર 1996

ક્ર. એફ-73-6-96-સી-3-36.—શાસકીય મહાવિદ્યાલયો કે પ્રબધન મે જન ભાગીદારી કી દૃષ્ટિ સે શાસન હારા નિર્મલિખિત નિર્ણય લિયા ગયા હૈ:-

(ક) શાસકીય મહાવિદ્યાલયો મે જન ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરને કે લિયે ઉનુંકે સ્થાનીય પ્રબધન કો એક સમિતિ કો સૌંપા જાએગા. યહ સમિતિ "મધ્યપ્રદેશ સોસાયટી રજિસ્ટ્રીકરણ અધિનિયમ, 1973"-કે અન્તર્ગત પંજીકૃત કી જાએગી.

(ખ) ઇસ સમિતિ કો યહ અધિકાર હોગા કી યહ મહાવિદ્યાલય મે દી જાને વાલી શિક્ષા કે વિકાસ કે લિયે સ્થાનીય નાગરિકો સે સ્વેચ્છિક રૂપ સે સંસાધન એકત્રિત કરે, વિભિન્ન ગતિવિધિયો પર ફીસ લગાએ યા વદાએ ઔર કન્સલટેસી આદિ કે ધન એકત્રિત કરે. ઇન સંસાધનોં કા ઉપયોગ યહ સમિતિ મહાવિદ્યાલય કી વિભિન્ન ગતિવિધિયો કે લિયે કર સકેગી. સમિતિ જન સહયોગ કે જરિયે મહાવિદ્યાલય મે અચ્છા વૌદ્ધિક પર્યાવરણ બનાને મે સહાયક હોગી. મધ્યપ્રદેશ વિશ્વવિદ્યાલય અધિનિયમ, 1973 કે પ્રાવધાનોં કે અન્તર્ગત જો શાસકીય મહાવિદ્યાલય સ્વશાસી ઘોષિત કર દિયે ગયે હૈ, ઉનકી પ્રવધ સમિતિ કો અકાદમિક મામલો મે ભી સ્વાયત્તતા હોગી, અર્થાત્ ઐસી સમિતિયા સ્થાનીય સ્તર પર પ્રવેશ નિયમ બનાયેગી, પાઠ્યક્રમો કા નિર્ધારણ કરેગી અધ્યયન-અધ્યાપન પરીક્ષા સંચાલન એવ મૂલ્યાંકન કી નર્દી પદ્ધતિયો કા વિકાસ કરેગી.

(ગ) સમિતિ કે કાર્ય કલાપો કા પ્રબધન સામાન્ય પરિપદ કે નિર્દેશ એવ નિયત્રણ મે કિયા જાયેગા. યહ સમિતિ કી સર્વોચ્ચ સમા હોગી. ઇસ સમા કા અધ્યક્ષ રાજ્ય શાસન હારા નિયુક્ત કિયા જાયેગા. રાજ્ય શાસન સવધિત નગર નિકાય, જનપદ પચાયત એવ જિલ્લા પચાયત કે સદસ્ય, વિધાયક અથવા સાસદ મે સે કિસી કો અધ્યક્ષ નિયુક્ત

करेगा। सामान्य परिषद का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा। सामान्य परिषद में विद्यालय, सासद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

इस परिषद में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभाषक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृपकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। सामान्य परिषद में अभिभाषकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभाषक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों, परिषद का सदस्य नामांकित किया जायेगा।

परिषद में एक महिला अभिभाषक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो।

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा—

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से।
2. दस हजार से पचास हजार तक वाली आबादी वाले स्थान भैं रुपये पञ्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से।
3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से।
4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों गें से। सामान्य परिषद में नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जाएं। महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

साधारणतः सामान्य परिषद की दो वर्गों में दो नार होगी। आवश्यकतानुसार परिषद की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी। परिषद नीति-निर्धारण के साथ ही गहाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेगी। परिषद के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(घ) सामान्य परिषद के अतिरिक्त समिति ने कार्य कलापों के सम्बन्धित प्रबन्धन ने लिये प्रबंध रागिति एवं वित्त समिति भी होगी।

(ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिये जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी। सामान्य परिषद का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा। सुभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा अस्युक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे। लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। प्रबंध रागिति की देटर आवश्यकतानुसार होगी। किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

(च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होगे। वेकिंग/वित्तीय कार्य ने अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक संघित वोपालग अधिकारी या इनके द्वारा गनानीत उप वोपालग अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे। वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुसासन वनाये रहने के कार्य में सहायता करेगी।

(छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकाधिक फिर गये वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैक में समिति भी निधि के रूप में रखा जायेगा। इस निधि का नाय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार

महाविद्यालय की अधोसंचना के विकास के लिये किया जायेगा। रास्था वी निधि का लेखा परीक्षण रामान्य परिपद के हारा नियुक्त चार्टड अकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा। महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त राभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अपेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा। सोशल, गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी। तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी। ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेंगी।

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी धोषित कर दिये गये हैं उनमें अकादमिक परिपद और अध्ययन मण्डल भी होंगे। अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के अकादमिक कार्य कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे। इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी।

(झ) समिति अपने कार्य के लिये कोई रटाफ नियुक्त नहीं करेगी। महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य सचालन करेगी।

(त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशोकणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी। भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिये जायेंगे, जिनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होंगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

(थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जाच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।

(द) यह व्यवस्था प्रदेश के मनस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू वी जायेगी।

मध्यप्रदेश ये राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. अग्रवाल, उपसचिव।

पश्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
पंत्रालय

प्रकाशन संख्या - ३/३८

भोगल, दिनांक । अक्टूबर, १९९६

मान्यता,

समाज आमदारी प्रदानितार्थी,

पश्यप्रदेश।

जिम्मेदारी - पश्यप्रदेश के आमदारी प्रदानितार्थी में जनभागीदारी ।

सचिव शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के गपस्त् शासकीय प्रदानितार्थी के स्वतंभर में जनभागीदारी को दृष्टि से उन्हें प.प्र. संगमयटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जायेगा । जनभागीदारी की विस्तृत स्थानों पर संलग्न अधिनियम संख्या - ७३-६-९६-प्री-३-३६ दिनांक ३० सितम्बर १९९६ में दी गई है ।

समिति के पंजीयन के लिये जापन एवं विनियप का प्रारूप भी गलतान है । कृपया तदनुसार आमे प्रदानितार्थी के लिये समिति का पंजीयन प.प्र. संगमयटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत तत्काल करने की व्यवस्था करें ।

गहर योजना उच्च शिक्षा के द्वारा में गुणात्मक सुधार लाने एवं विधिव गपस्त् शासकीय स्थानों को स्थानों स्थाने हल देने ना अनिवार्य है । इसकी सहायता काफी दीना तक आपकी व्यक्तिगत स्विए एवं प्रजाय कर निहार करेंगी ।

इन्हाँ निर्वाचित कार्यक्रमानुसार कार्यवाही कर दिनांक ८.११.९६ तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें :-

(१) प.प्र. संगमयटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत समिति का पंजीकरण

दिनांक २२.१०.९६ तक

(२) समिति की गपस्त् शासकीय स्थानों की संघर्ष वैठक

दिनांक ०१.११.९६ तक

मान्यता - अप्रयोग्यता

(आर.रामानुजप)

मणिव,

पश्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रकाशन संख्या - ७३/६/९६/प्री-३/३८

भोगल, दिनांक । अक्टूबर, १९९६

संक्षेपिता :-

महिला, पश्यप्रदेश, सामाजिक, भोगल ।

विदेशी व्यापारी, गपस्त् शासन, पश्यप्रदेश, पंत्रालय, भोगल ।

पुस्तकालय के स्थान अंभीकरण, सामाजिक, भोगल ।

आगूक, उच्च शिक्षा विभाग अधिकारी, भोगल, गोपना ।

गोपना, गोपनीय गोपनीय, उच्च शिक्षा, पश्यप्रदेश ।

की ओर गुप्तकार्ता अधिकारी ।

मुख्यमन्त्री

(डॉ. य. एन. अधीकारी)

प्रधान विदेशी अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग

विनियम

समिति

मध्यप्रदेश के विनियम

रोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6(3) के अधीन परिभासाएँ:-

इन विनियमों में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न हो तो

- (अ) महाविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) लंबायनीय शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तरा प्राचीनविद्यालय
- (ब) समिति से तात्पर्य है, (नाम) महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति
- (ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन
- (द) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय
- (इ) कुलपति से तात्पर्य है, (नाम) विश्वविद्यालय का कुलपति
- (च) आयुक्त से तात्पर्य है, आयुक्त, उच्च शिक्षा, प.प्र., गोपाल
- (उ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य

समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

- (1) रामान्य परिषद्
- (2) प्रबन्ध समिति
- (3) वित्त समिति

समिति द्वारा रामान्य वंशि निर्भारण एवं कार्य रांचालन के कार्य उक्त समाजों के पाठ्यप से किया जाएगा।
न्य परिषद

समिति के कार्यकालान्तरों का प्रबंधन रामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा। यह समिति की रामान्य समाज होगी।

रामान्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्र.	नाम	पता	पद
1.	भा० रुद्र कुमार शर्मा	संवंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	भा० राम कुमार शर्मा	जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.		प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों एवं पोषक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	भा० रुद्र	अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.	भा० रुद्र कुमार शर्मा	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों	सदस्य
8.		एक पहिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में पहिला न आई हो	सदस्य
9.		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पनोनीत सदस्य	सदस्य
10.	भा० रुद्र कुमार शर्मा	पहाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव

टीप- क्रमांक 5,6,7 एवं 8 के अन्तर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे।

(3) समिति की सामान्य परिपूर्ण नियन्त्रित कर्तव्यों का गालन करेगी, अर्थात्:-

- (क) पहाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण
- (ख) पूर्व में निर्भारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण
- (ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिये छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य पुगतानों का निर्धारण
- (घ) राज्य शासन द्वारा पदत्ति निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ घोजना
- (ङ) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना

समिति का ज्ञापन

1. समिति का नाम होगा।
2. समिति का पंजीयित कार्यालय में होगा।
3. समिति की स्थापना का उद्देश्य

महाविद्यालय में दो जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से ग्रैचिछक रूप से संसाधन एकत्रित करना, विभिन्न गतिविधियों एवं निषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/ बढ़ाना और कन्वलटेन्सी आदि से इन एकत्रित करना। इस प्रकार गुटांदे गये संसाधनों का उपयोग जन सहयोग के जरिये महाविद्यालय में अच्छा गौद्रिक चातावरण बनाने के लिए करना।

स्वशासी महाविद्यालयों के मापले में समिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-

- (क) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण
- (ख) शासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना
- (ग) परीक्षा संचालन एवं पूल्यांकन की पद्धतियों का विकास
4. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संख्या 44 रान् 1973) के प्रावधानों के अंतर्गत समिति के काम-काज के पुनरावलोकन हेतु राज्य शासन किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच-प्राप्ति के लिए कर सकता है। ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा समिति के मापलों की जांच के आधार पर राज्य शासन ऐसी कार्यवाही कर सकता है या ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक समझे और समिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए वाध्य होगी। महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के संबंध में राज्य शासन आवश्यकतानुसार संबंधित समिति को निर्देश भी दें सकेगा।
5. समिति के कार्य-कलाओं का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में विनियमों के अन्तर्गत प्रवृत्ति समिति द्वारा किया जायेगा। समिति की सामान्य परिषद्, जो कि सर्वोच्च सभा है, के प्राथमिक महसूसों की नापावली और एवं निम्नलिखित है:-

क्र.	नाम	पता	पद
1.	पंचायत वा नगर निकाय	संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के महसूस, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	कलेक्टर	कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य

5.	प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग। — अर्टोफ लाइब्रेरी करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों, एवं गोपक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि	मदरस्य
6.	मी. ३३२८६ अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.	ली. ५८१११२०६०० अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों।	सदस्य
8.	एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो।	सदस्य
9.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पनोनीत सदस्य	मदरस्य
10.	महाविद्यालय का प्राचार्य	मदरस्य सचिव

6. पश्चिम प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रम संख्या 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपभारा(3) के तहत ; समिति प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ इस संस्था के विनियोगों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
7. हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम ओर पते नीचे लिखे हैं, समिति वा निर्धारण, उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पर हमने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये हैं:-

क्र.	अंशदाता का नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	हम अभ्यो स्ताक्षरित यह प्रमाणित करते हैं, कि हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने हस्ताक्षर हपारे समक्ष अंकित किए हैं। यह भी ज्ञापन करते हैं, कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।		

1. नाम	पता
2. नाम	पता

- (३) निम्नलिखित कार्यक्रमों का विवरण पर विनाग करना और उन्हें आगीकृत करना।
- प्रबन्ध समिति की अनुशंसा पर छावनीवृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पटकों, पारितोषिक वा वासा प्रभागों को समिश्र करना।
 - उसगढ़ी वर्ष के लिये संस्था के लेखन परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिशमिक का निर्धारण।
 - यदि अवश्यक हो तो समिति के विनियोगों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना।
 - महाविद्यालय की किसी चल या अचल संगठन के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुदाता प्रेषित करना।
- (४) सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया:-
- व्याधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक साल में दो बार होगी। आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती।
 - सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होंगे। बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीयत डाक से कम से कम इककोस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, जिन्तु किसी विशेष बैठक के मंदर्भ में अध्यक्ष इस माध्यायधि को घटा भी सकते।
 - परिषद् को किसी भी सभा के लिये अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरप) आवश्यक होगी, पांच विशेष भी मध्यित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
 - परिषद् को प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेगें। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यांगण अपने बीच में एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिये अध्यक्ष के रूप में करेंगे।
 - अध्यक्ष महत्व परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा। यदि किसी प्रकारण में दोनों पक्षों को वरावा मत प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष वा एक अतिरिक्त निर्णायिक मत होगा।
 - प्रत्येक बैठक के कार्यविवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर अग्रेसिव की जाएगी।
- (५) सदस्यों की पंजीयन:-
- समिति की सामान्य परिषद् द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और यसपाठि के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा। पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित होंगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किये बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।
 - सामान्य परिषद् के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसी समिति के सचिव को सूचित करना होगा, यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में पान्य होगा।
 - सामान्य परिषद् के पनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक पनोनीत सदस्य को पुनरानुोदन वाली पात्रता होगी।

प्रबन्ध समिति

सामान्य परिषद् के अधिकारित समिति के कार्यकलालों का राष्ट्रिय प्रबन्धन, प्रबन्ध गणित द्वारा किया जाएगा। प्रबन्ध

सर्विति का गटन निम्नानुसार होगा:-

- (1) सामान्य परिषद का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा

(2) संभागीय मुख्यालय में स्थिति महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा पनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होंगे।

(3) लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो पनोनीत किए जाएंगे, विश्वविद्यालय द्वारा पनोनीत सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद का अशासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं स्थानीय औंश्चोगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

(4) महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे।
पनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा इन व्यक्तियों को पाक. और कार्यकाल पे पुनः पनोनायन की पात्रता होगी।

प्रवंध सः ति ; कार्य

2. प्रवंध सपिति के निम्नलिखित कार्य होंगे) यथा:-

- (क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और बनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये राज्य शासन के नियम की लागू नहें।

(ख) महाविद्यालय के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियोग हेतु उप नियमों का अनुमोदन करना।

(ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त, मपड़े स्वशासी महाविद्यालयों के मापले में अकादमिक परिषद् तथा वित्त समिति एवं अन्य में वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य गुणातानों की सामान्य-परिषद् को अनुशंसा करना।

(ङ) संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रपाण पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद् को अनुशंसा करना।

(च) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना।

(छ) सामान्य परिषद् के कार्य संपादन में सहायक होना, एवं

(ज) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन।

वित्त समिति

1. विसर्गि की संरचना निम्नानुसार होगी :-

- (1) कार्य
(2) किंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो कार्य के लिये मनोनीत किया जाएगा

३४५

महाम्य

- | | |
|---|----------|
| <p>(3) पारंपरिक में दो वर्ष के लिये प्राचार्य द्वारा प्रोफेसर महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक</p> <p>(4) महाविद्यालय, जिस जिले में स्थित है उसका कोपालय अधिकारी या उसके द्वारा प्रोफेसर नियुक्त जो उस कोपालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो।</p> | प्रदर्शन |
|---|----------|
2. वित्त समिति के कार्य
- समिति के गांधी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति सहायक होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यों में यथा
- (1) प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के ब्यय हेतु उपनियमों का प्राप्त बनाना
 - (2) वार्षिक वित्तीय प्रावक्कलन (वार्षिक बजट) बनाना
 - (3) यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय प्रावक्कलन) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/ निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है
 - (4) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियन्त्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुगमित करना
 - (5) लेखा वहाँ खानों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख रखाव करना
 - (6) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अप्रैप्रित करना
 - (7) अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियाँ अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित करना
 - (8) सामान्य परिषद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं
 - (9) ऐसे सभों प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंsan जो पद रचना, पूंजी एवं अन्य व्यय को स्वीकृत से संबंधित हों

(3) निधि

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होंगे:-

- (क) विद्यविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियाँ
- (ख) समस्त शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ
- (ग) व्यक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ एवं अन्य सभी प्राप्तियाँ। संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एकट 1934 (क्र.2 मन् 1934) में परिभागित कियी अनुगृहित बैंक में गढ़ो जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध नियमों द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंsan पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा।

गव्य शोग्न में महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियाँ उनपै से व्यय, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों में डिसित होंगे। संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्त किया जाएगा। महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत और सेवा गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा। इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी। तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगा। और आय वृद्धि के अन्य उपयोग भी कर सकेगी। ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी।

केवल स्वशासी प्राचार्यालयों के लिए

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय प्राचार्यालय स्वशासी प्राचार्यालय दिये गये हैं उनमें अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे। अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल प्राचार्यालय के आकादमिक कार्यालयों में स्वायत्ता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे। इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्यार्थियों तक ही संभित होगी।

अकादमिक परिषद्

(अ) संरचना :-

(1)	प्राचार्य	अध्यक्ष
(2)	प्राचार्यालय के सभी विभागों के वरिष्ठतम प्राध्यायक	सदस्य
(3)	शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक, जिनका मनोनयन प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर पारीक्रम में किया जाये गा	सदस्य
(4)	प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत प्राचार्यालय से बाहर से कम से कम चार विद्यार्थी जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, अधियांशंसा, आदि शेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों	सदस्य
(5)	विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	प्राचार्य द्वारा मनोनीत एक शिक्षक	सदस्य मन्त्रिवाल

(ब) मन्त्रियों की पदावधि :-

मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी

(स) बैठकें :-

प्राचार्य वर्ष में कम से कम एक बार अकादमिक परिषद् की बैठक बुलाएगा

(द) कृत्य :-

अकादमिक परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथा

- (1) अध्ययन मण्डलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना और यथावत् अथवा किन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से अनुमोदन करना। किन्तु यहाँ अकादमिक परिषद् किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो ऐसे प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिये संबंधित अध्ययन मण्डल को लौटाने या कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (2) प्राचार्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित उपनियप बनाना।
- (3) परीक्षाओं के संचालन के लिये उपनियप बनाना।
- (4) प्राचार्यालय के विद्यार्थियों के शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के पार्श्वाधारिक कार्यक्रमों में मुभार प्रक्रिया पहल करना।
- (5) खेलकूद तथा पाठ्येतर गतिविधियों, छात्रावारा तथा खेल मैदानों के उचित रख रखाव एवं संचालन के लिये उपनियप बनाना।

- (6) प्रबंध समिति को अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिये अनुशंसा प्रपत्ति करना
- (7) प्रबंध समिति को छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पारितोषकों एवं पाठ्यकों की अनुशंसा करना एवं उन्हें प्रदल करने के लिये उपनियम बनाना
- (8) समिति को अकादमिक कार्यकलानों के विषय में परामर्श देना, एवं
- (9) कार्य समिति द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों का संपादन करना।

अध्ययन मण्डल

(अ) संरचना

- (1) संबंधित विभा का वरिष्ठतम प्राध्यापक ग्राहक
- (2) विभाग के प्रत्येक विशेषज्ञता का एक शिक्षक ग्राहक
- (3) अकादमिक परिपद् द्वारा पनोनीत विषय के दो विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से याएँ के हों ग्राहक
- (4) प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छः व्यक्तियों के पैनल में से कुलपति द्वारा पनोनीत एक विशेषज्ञ। यह पैनल संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ग्राहक
- (5) जब भी अध्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो, अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य की सहमति में नामांकित महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ ग्राहक
- (6) संकाय के अन्य शिक्षक वृन्द ग्राहक
- (v) पनोनीत सदस्यों की पदावधि
पनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।
- (vi) बैठकेः -
विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डलों की बैठकों का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बैठक उपबृद्धकतानुसार कभी भी की जा सकेगी। परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

(ट) कृत्य :-

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग के अध्ययन मण्डल के नीचे लिखे अनुसार कृत्य होंगे:-

- (1) अकादमिक परिपद् को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के प्रयोगजन से महाविद्यालय का उद्देश्यों पर राष्ट्रीय आवश्यकताओं को धृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण
- (2) नवोन्नेपकारी शिक्षण पद्धतियाँ एवं मूल्यांकन प्रतिविधियाँ प्रस्तावित करना
- (3) अकादमिक परिपद को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल प्रस्तावित करना, एवं
- (4) ऊर्ध्व, अध्यापन, विस्तार तथा विभाग/ महाविद्यालय की अंग अकादमिक गतिविधियों वा मानन्यान

सामान्य

- (क.) सर्वसति द्वारा गङ्गा शासन की ग्यांकृति के विना कोई नया पद निर्धारित नहीं किया जायेगा और न ही संपर्क

आपने कार्य के लिए पृथक से कोई स्टाफ नियुक्त करेगी।

- (i) गमिति आपने कार्य संचालन के हिंग महाविद्यालय ने, किसी कर्मचारी को ही समिति व्यूनिभि में पाने के अधिकार सेवा कर सकेगी।
- (ii) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ गत्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यपान स्टाफ में से शासन द्वारा वर्तपान नियमों के अनुसार को जायेगी, किन्तु भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिया जायेगा जिनकी उल्लिखियाँ उत्तराहजनक होंगी परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
- (iii) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपर्युक्त गमिता है।

विविध

समिति की ओर से एवं समिति के लिये किये गये सभी अनुबंध समिति के सचिव द्वारा गमिति के नाम पर दियान्वित किये जायेंगे। समिति द्वारा अथवा समिति के किछु सभी वाद या प्रतिवाद समिति के सचिव के नाम पर होंगे।

॥ प्रमाण-पत्र ॥

हम सभी अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करते हैं, कि उपर्युक्त विवरण समिति के नियमों का सम्मति करते हैं।

कलेक्टर

प्राचार्य

अध्यक्ष